

फारम अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

न अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना




फिर :- कैलाश पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी भण्डारी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

अर्धीगण:- तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान ।

स मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act.


संख्या..80 ...सन्-.....2020..

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
08.2020	<p>प्रार्थी कैलाश पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी भण्डारी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान ने पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद भण्डारी के खसरा सं0 59, 60 की भूमि में किसी प्रकार का खुर्द-बुर्द नही करें तथा रास्ते का निमार्ण नही करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मान तलब होकर पत्रावली दिनांक 22.09.2020 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p><u>18/8/20</u></p> <p>कमीश की खरुख रात्र ने नजदीक गरीब पेशी का शर्की पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को सुराह व येनगराह से पत्र से जामक पत्र 01R10 CPL का पेश किया। नकल कमीश शर्की डिपार्टमेंट गरी पत्रावली वाकै नकल दा व नकली लि। दिनांक 22/9/20 से पेश हो।</p> <p> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p>	

8/9/22

व्युत्पन्न उद्योग

पत्रावली वाले कार्ड के लिए पत्रावली
 स्वयं सं 59 व 60 के अंतर्गत कार्य
 पर शाखा अधिकारी हैं। शाखा की
 शर्त वगैरह कार्यकारी अधिकारी
 की धारा 16 के अनुसार शाखा की
 शर्त की खाती धारा 17 की शर्तों
 तथा न ही रिपोर्ट के तहत जो
 हटाया जा सकता है। प्र: प्रत्येक
 पत्र का कोड कोडित नहीं है
 से खातीन विषय शाखा की शर्तों
 प्रथम से लिखाया गया शाखा
 विषय विषय उद्योग/ पत्रावली
 सं 1915 शुक्र हीनर कोडित
 धारा है)


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)